

क्रमांक : प. 7818/कृषि/गुप-2/2005 जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 & 1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप-धारा 4 के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अस्तित्व में रखा जायेगा क्योंकि राज्य सरकार का विचार है कि उन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन नियम, 2006 है ।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।
2. नियम 32 का संशोधन .- राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 32 के उप-नियम 1 में जहाँ कहीं भी विद्यमान आश्रित "बोर्ड का सचिव" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "निदेशक, कृषि विपणन" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,

४ के.सी. वर्मा
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांक: निकृवि/मं. चुनाव/06/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला क्लर्क. समस्त.....
2. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक/ सहायक निदेशक/ विपणन अधिकारी मुख्यालय, जयपुर ।
3. क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग.. समस्त..... को भेजकर देना है कि वे अपने अधिनस्थ मण्डी समितियों को भी उक्त संशोधन की जानकारी दें ।

संयुक्त निदेशक
कृषि विपणन

ईनानी/-